न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 57 / 2017 दायरा दिनांक : 09.05.2017

उनवान

श्रीमती द्वारकी बाई पुत्री नन्द किशोर, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— प्रतिमा श्री गोवरधन नाथ जी उर्फ श्रीनाथ जी बिराजमान नाथद्वारा जर्ये सचिव एवं मुख्य निष्पादन अधिकारी नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड नाथद्वारा

2— नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड नाथद्वारा

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

4— शाखा प्रबन्धक हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी. पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रमेश बहादुर सिंह पाल
(स्टेनो—पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

निर्णय दिनांक : 15.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1075/दावा/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर की आराजी खसरा नम्बर 48 रकबा 69.01 बीघा सरे अव्वल, खसरा नं. 77 रकबा 30.02 बीघा सरे अव्वल, खसरा नं. 77 रकबा 24.15 बीघा सरे दोयम, खसरा नं. 77 रकबा 34.06 बीघा उतार अव्वल, खसरा नम्बर 78 रकबा 1.08 बीघा उतार अव्वल कुल 159.13 बीघा आराजी स्थित है जिसके सम्बन्ध में विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री कर हाल खसरा नम्बर 846 की 17 बीघा 7 बिस्वा आराजी पर रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 को खातेदार घोषित कर कब्जा देने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का पति कई वर्षों से खातेदार व काबिज काश्त था इसके बाद अपीलांट काबिज है, वर्तमान में भी खातेदार है, जबकि विवादित आराजी पर कब्जा रेस्पोडेंट/वादीगण का था ही नहीं ऐसी स्थिति में घोषणा बाबत डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के मामले में कानूनी प्रावधानों के मामले में ध्यान नहीं दिया, बेदखली के दावे में बेदखली की मियाद 12 वर्ष है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से पूर्णतया साबित था कि रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा घोषणा एवं बेदखली बाबत पूर्व में एक वाद

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

संख्या 215/2002 पेश किया गया था जो दिनांक 22.05.2003 को खारिज कर दिया गया था इस कारण वर्तमान में नया वाद जो निर्णय व डिक्री जैर अपील से सम्बन्धित है चलने योग्य नहीं है । पूर्व वाद संख्या 215/2002 में वाद कारण दिनांक 01.03.1985 बताया था और नये दावे में वाद कारण दिनांक 22.07.2008 बताया है, इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा सन् 1985 से भी पूर्व का है इस आधार पर यह साबित था कि वाद दायरी की दिनांक को विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा 12 वर्ष से भी अधिक समय से था । इस आधार पर तनकी नम्बर 3 कायम की गई थी, यह अपीलांट के हक में तय करना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत यह तनकी अपीलांट के विरूद्ध तय की है जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकीयात का निर्णय दस्तावेज, रेकार्ड व साक्ष्य एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत बहक वादीगण किया है, जो अवैधानिक है । विवादित आराजी अपीलांट के खातेदारी में विधिवत रूप से दर्ज की गई थी, तब से ही खातेदार काबिज काश्त है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2017 निरस्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा घोषणा एवं बेदखली बाबत पूर्व में एक वाद संख्या 215/2002 पेश किया गया था जो दिनांक 22.05.2003 को खारिज कर दिया गया था इस कारण वर्तमान में नया वाद जो निर्णय व डिक्री जैर अपील से सम्बन्धित है

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ (राजस्थान)

सत्यमेव जयते

चलने योग्य नहीं है । पूर्व वाद संख्या 215/2002 में वाद कारण दिनांक 01.03.1985 बताया था और नये दावे में वाद कारण दिनांक 22.07.2008 बताया है, इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा सन् 1985 से भी पूर्व का है इस आधार पर यह साबित था कि वाद दायरी की दिनांक को विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा 12 वर्ष से भी अधिक समय से था । अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि और नकल जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) सम्वत 2074–2077 खाता संख्या नया 309 खाता संख्या पुराना 224 खसरा संख्या 846 रकबा 2.8085 हेक्टर माल दोयम, नकल जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) सम्वत 2070–2073 खाता संख्या नया 224 खाता संख्या पुराना 201 खसरा संख्या 198 रकबा 25.12 बीघा, खसरा नम्बर 201 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नम्बर 846 रकबा 17.07 बीघा कुल 46.06 बीघा, नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में नोट अंकित है कि "नामान्तरकरण संख्या 3130 दिनांक 23.05.2017 न्यायालय आदेश से खसरा नम्बर 846 की 17.07 बीघा भूमि सम्पूर्ण प्रतिमा श्री गोर्वधन नाथ जी उर्फ श्रीनाथ जी विराजमान नाथद्वारा के खाते दर्ज करने का आदेश हुआ है", के दस्तावेज पेश किये हैं जो आवश्यक दस्तावेज होने से रिकार्ड पर लिया जाना हम उचित समझते हैं तथा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो (पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

श्रीमती द्वारकी बाई पुत्री नन्द किशोर, जाति कलाल, निवासी गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

..........**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– प्रतिमा श्री गोवरधन नाथ जी उर्फ श्रीनाथ जी बिराजमान नाथद्वारा जर्ये सचिव एवं मुख्य निष्पादन अधिकारी नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड नाथद्वारा

2– नाथद्वारा टैम्पल बोर्ड नाथद्वारा

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

4– शाखा प्रबन्धक हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोलाना, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **57/2017** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**

मु.द.नं0 **1075/दावा/2015** निर्णय व डिक्री दिनांक – **30.03.2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 27 माह 06 सन् 2022

हाजरी **श्री सी पी खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री धीरेन्द्र** मालव मिनजानिब अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2017 यथावत रखा जाता है** ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **15** माह **07** सन् **2022** को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)